International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 1; Issue 8; August 2016; Page No. 48-50

रीवा जिला में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का क्रियान्वयन : महिलाओं के विषेष संदर्भ में

डॉ. शान्ती पटेल

अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांष

हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी मानव संसाधन है, जो बेरोजगारी की विकराल समस्या से पीड़ित है। बेरोजगार के समधान हेतु विभिन्न स्तरों पर कई तरह के प्रयास किये जा रहे है। कई तरह के प्रशिक्षण, सहायता एवं सुविधाये प्रदान की जा रही है, जिससे स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले। जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं वितरित प्रकरण में सभी वर्गो में काफी अन्तर पाया गया है और किसी भी वर्ष किसी वर्ग की लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। महिला हितग्राहियों की भागीदारी अत्यन्त कम है। महिलाओं की 30 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से वर्ष 2011 से 2015 तक महिलाओं को क्रमशः 245, 248, 250, 258 व 265 प्रकरणों में ऋण का वितरण महिलाओं के पक्ष में होना चाहिये था, लेकिन इसके विपरीत महिलाओं को क्रमशः 84, 72, 80, 85 व 95 प्रकरणों में ऋण का वितरण किया जा सका है। यह क्रमशः लक्ष्य का 10.28, 8.72, 9.59, 9.88 व 10.72 प्रतिशत है। यह इस योजना में उनकी भागीदारी की दयनीय दशा का सूचक है।

शब्द कुंजी: रीवा जिला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, क्रियान्वयन, महिला

प्रस्तावना

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1993 को एक नई योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' प्रतिपादित की गई। वर्ष 1993–94 के दौरान यह योजना केवल शहरी क्षेत्र में लागू की गई, 1 अप्रैल 1994 से इस योजना को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1994 को शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई गई स्वरोजगार योजना (सीयू योजना) को भी इस योजना में एकीकृत कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार को केवल रोजगार प्रदान करने की बात नही सोची गई बल्कि यह प्रयास किया गया कि शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियां देश के उत्पादन को बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। केन्द्र में स्थापित होने के साथ ही 1993–94 में यह योजना म.प्र. के रीवा जिले में भी लागू हो गयी। युवक व युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु योजना में वित्तीय सहायता अत्यन्त आसान शर्तो पर दी जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

- योजना में ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत सरल है।
- हितग्राही को बहुत कम मार्जिन मनी लगाना होता है।
- योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हितग्राही से 1 लाख रुपयें तक के ऋण पर किसी प्रकार की गारंटी की अपेक्षानहीं की जाती है।
- हितग्राही इकाई को सफलतापूर्वक चलाये इसके लिये योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।

योजना हेतु निर्धारित पात्रता

योजना का लाभ वे युवक–युवतियाँ ले सकती हैं जो –

- संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष से स्थाई रूप से रह रहे हों। इसकी जानकारी आवेदक के राशन कार्ड या वोटर्स लिस्ट से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदक को आठवी की परीक्षा पास होना चाहिये योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि हितग्राहियों का चयन करते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अलावा उन उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने आई.टी.आई. पास किया हो अथवा शासन द्वारा दिया गया कम से कम 6 माह का कोई तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये। सात उत्तर पूर्वी राज्यों में आयु की अधिकतम सीमा 18 से 35 की जगह 18 से 40 के बीच कर दी गई है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विस मैन, विकलांग एवं महिलाओं के लिये आयु सीमा 45 वर्ष तक कर दी गई है।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 24000 रुपयें से कम होनी चाहिए। योजना के अन्तर्गत परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी, उन पर आश्रित बच्चे, आश्रित माता–पिता तथा अन्य सदस्य जो आवेदक/आवेदिका पर पूर्ण से आश्रित है।
- आवेदक/आवेदिका को ऋण देने वाली संस्था या बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- पूर्व में किसी शासन प्रयोजित में लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

इस योजना का लाभ युवक एवं युवतियाँ दोनों ही ले सकते हैं। योजना के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया है कि सेवा कार्य क्षेत्र महिलाओं के लिये उपयुक्त होगा। जैसे – इलेक्ट्रानिक्स तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों का निर्माण तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर, प्रिटिंग प्रेस, रेस्टोरेन्ट, छोटे गेस्ट हाउस का संचालन, ड्राईक्लीनिंग की दुकाने आदि।

उद्देश्य

शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 'सीयू' की सभी अच्छाइयों को समेटते हुए उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत देश की आर्थिक सीमा एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को इतनी पर्याप्त राशि देने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे लघु उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना करने में समर्थ हो जिससे देश के उत्पादन में भी योगदान हो सके। इस योजना के अन्तर्गत युवक एवं युवतियों को लघु इकाइयाँ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का

प्रावधान है। लघु इकाइयों के अन्तर्गत लघु औद्योगिक/सेवा इकाइयाँ/लघु व्यवसाय स्थापित किये जा सकते हैं।

योजना के अन्तर्गत स्थापित की जा सकने वाली गतिविधियाँ

इस योजना के अन्दर ऐसी लघु इकाइयों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान की जाती है जिसके सफल होने की उस क्षेत्र में प्रबल सम्भावनायें होती है। जिससे उस लघु इकाई के संचालन में कम से कम परेशानी आये। योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को सभी प्रकार की लघु औद्योगिक इकाइयाँ/सेवा इकाइयाँ/लघु व्यवसाय स्थापित करने हेतु सहायता दी जाती है। योजना का क्रियान्वयन करने वाली ऐजेन्सी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिले में व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक से अधिक 30 प्रतिशत हितग्राही ही हो सकते हैं। योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है–

उद्योग इकाई – कृषि यंत्र, फाटक, खिड़की, स्टील फर्नीचर, ट्राली आदि का निर्माण मसाला पिसाई, आटा चक्की, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, दुग्ध उत्पाद, हैण्डलूम पावर लूम, रंगाई, छपाई व खनिज आधारित उद्योग, जापानी बटेर उत्पादन।

सेवा इकाई – एस.टी.डी., पी.सी.ओ., सायवर ढाबा टेन्ट हाऊस, होटल/ढाबा, केवल सर्विस, दूरदर्शन, रेडियों मरम्मत, मोटर रिवांयडिंग, कम्प्यूटर पर जाब वर्क, आटो गैरेज, सैलून।

व्यवसाय इकाई – किराना, जनरल स्टोर्स, रेडीमेड, वस्त्र दुकान, सौन्दर्य प्रसाधन आदि।

लक्ष्य निर्धारण

योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष केन्द्र स्तर पर प्रत्येक राज्य का और राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आधारभूत लक्ष्य जनसंख्या व शिक्षित बेरोजगारों की संख्या पर आधारित होते हैं। अतिरिक्त लक्ष्य का निर्धारण स्वीकृत ऋण की वसूली एवं पूर्व स्वीकृतियों की उपलब्धि तथा राज्य में निहित विशेष परिस्थितियों के आधार पर किये जाते हैं। योजना के कुल लक्ष्य में से कम से कम 22 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित हैं।

शोध विधि

प्रत्येक सर्वेक्षण में कुछ पद्धतियाँ व तरीके अपनाये जाते हैं जिसके आधार पर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। ऐसी विधियाँ क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए अपनायी जाती है। अध्ययन पद्धति से तात्पर्य किसी भी कार्य को सम्पादित करने का उपयुक्त एवं संतोषजनक तरीका या विधि आर्थिक प्रणाली एवं संतोषजनक सामाजिक घटनाओं के संबंधमें किये जाने वाले शोध कार्य आंकड़ों का एकत्रीकरण व वर्गीकरण व विश्लेषण एवं सामग्रीकरण के उद्देश्य से संचालित किये जाते है। प्रस्तुत शोध में निम्न अध्ययन विधियों का प्रयोग किया है–

1. साक्षात्कार पद्धति
2. प्रश्नावली अनुसूची

इसके अतिरिक्त गहन अध्ययन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों को संग्रहित कर उनका विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

रीवा जिले का निर्माण सन् 1950 में हुआ था। रियासतों के विलय के पूर्व तक रीवा राज्य उत्तरी एवं दक्षिणी दो जिलों में विभक्त था, जिसमें वर्तमान रीवा, सीधी, शहडोल एवं उमरिया जिले शामिल थे। रीवा जिले में 9 विकासखण्ड है जिनके नाम रीवा, सिरमौर, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, गंगेव, जवा, हनुमना एवं नईगढ़ी है।

भौगोलिक स्थिति : रीवा जिला $24^{\circ}18'–25^{\circ}12'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{\circ}20'–81^{\circ}12'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

जिले की सीमाएँ : रीवा जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व–पूवोत्तर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के सीधी और दक्षिण–पश्चिम में सतना जिले की सीमाएँ लगती है। रीवा जिला का क्षेत्रफल 6314 वर्ग कि.मी. है।

जलवायु : रीवा जिले की जलवायु विषम हैं यहाँ की जलवायु को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है– ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु।

तापमान : ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 40° से 43° सेन्टीग्रेट तक एवं शीतकालीन औसत तापमान 7° से 10° सेन्टीग्रेट तक रहता है। जिले का अधिकतम तापमान मई माह में 45.4° सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम जनवरी माह में 4° सेन्टीग्रेट रहता है।

वर्षा : जिले की औसत वर्षा 137 से.मी. से 144 से.मी. रहती है मुख्य नदियाँ जो जिले में प्रवाहित होती निम्न है– टोन्स, बीहर, बिछिया, महाना, बेलन, ओड्डा, गोरमा, करियारी।

क्षेत्र की विषेषताएँ : विन्ध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित रीवा जिला समद्विवाहु त्रिभुजाकार है, जिसकी आधार भुजा पश्चिम की ओर सतना से लगी है। पार्श्व भुजाएं हनुमना शीर्ष से मिलती हैं। रीवा जिले में मुख्यतः चूना पत्थर एवं बाक्साइट का भंडार है तथा रेवा की कैमूर पर्वत श्रेणी विश्व प्रसिद्ध 'सफेद शेर' की प्राप्त स्थलीय है।

सारणी 1: वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की जनसंख्या

विवरण	वर्ष 2001	वर्ष 2011
कुल जनसंख्या	1973306	2363744
पुरुष	1016687	1224918
महिला	996619	1138826
जनसंख्या वृद्धि दर	24.3%	19.79%
जनसंख्या घनत्व	313/km²	374/km²
म.प्र. के अनुपात में रीवा की जनसंख्या	3.27%	3.26%
पुरुष/ महिला अनुपात (1000 प्रति पुरुष)	945	930
साक्षरता	62.23	73.42

सारणी 2: रीवा जिला में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य एवं महिला हितग्राहीकी भागीदारी

क्र.	वर्ष	निर्धारित कुल लक्ष्य	महिला वर्ग		
			स्वीकृत प्रकरण	वितरित प्रकरण	सम्पूर्ण लक्ष्य में वितरण का प्रतिषत
1.	2011	817	103	84	10.28
2.	2012	826	106	72	8.72
3.	2013	834	114	80	9.59
4.	2014	860	102	85	9.88
5.	2015	886	113	95	10.72

स्त्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित

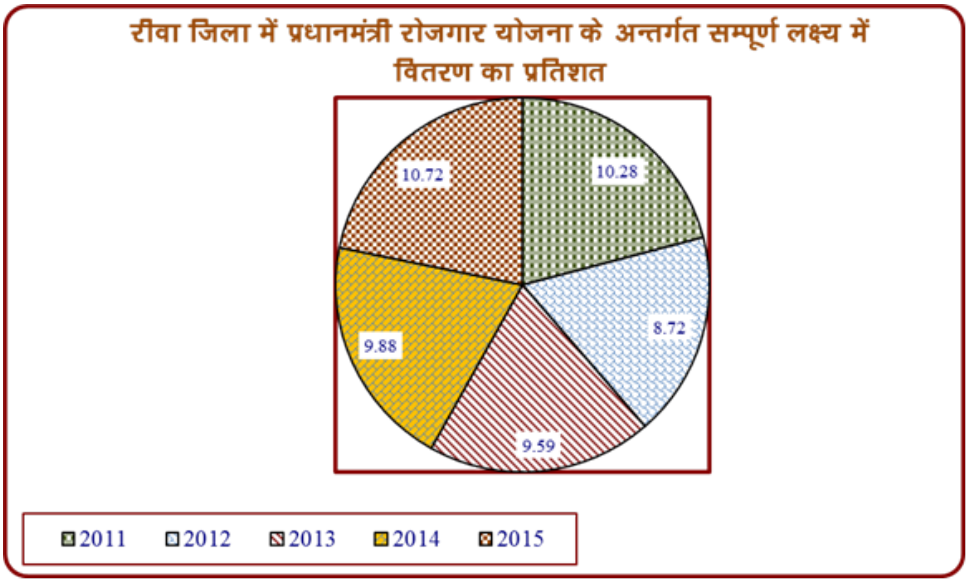

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि इस योजना में महिला हितग्राहियों की भागीदारी अत्यन्त कम है। महिलाओं की 30 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से वर्ष 2011 से 2015 तक महिलाओं को क्रमशः 245, 248, 250, 258 व 265 प्रकरणों में ऋण का वितरण महिलाओं के पक्ष में होना चाहिये था, लेकिन इसके विपरीत महिलाओं को क्रमशः 84, 72, 80, 85 व 95 प्रकरणों में ऋण का वितरण किया जा सका है। यह क्रमशः लक्ष्य का 10.28, 8.72, 9.59, 9.88 व 10. 72 प्रतिशत है। यह इस योजना में उनकी भागीदारी की दयनीय दशा का सूचक है।

निष्कर्ष

रीवा जिला उद्यमिता के क्षेत्र में अत्यन्त पछिड़ा हुआ है। मध्यप्रदेश शासन में भी उद्योग के क्षेत्र में रीवा जिले को सबसे पिछड़े जिले में रखा है। महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी रीवा जिले का स्थान पिछड़े जिला के साथ ही जुड़ा है। रीवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के विश्लेषण से पता चलता है कि योजना अन्तर्गत हितग्राहियों की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है।

सन्दर्भ

1. अग्निहोत्री, रामप्यारे – "रीवा राज्य का इतिहास" साहित्य परिषद, भोपाल, 1972.
2. उद्यमिता – प्रधानमंत्री रोजगार योजना विशेषांक, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. भोपाल, जनवरी 1994, 60 जेल रोड जहॉगीरावाद भोपाल.
3. योजना – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पटियाला हाउस नई दिल्ली, 2000.
4. स्वरोजगार मार्ग दर्शिका – द्वितीय संस्करण उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., 60 जेल रोड जहॉगीरावाद भोपाल 1999.
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना सामान्य विशेषताएँ एवं प्रचालन मार्गदर्शिका, विकास आयुक्त, लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली।
6. -Norman Long – Introduction of the Sociology of Rural Development p. 171.